रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122025-268440
CG-DL-E-12122025-268440

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947
No. 801] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 887(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन,पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग समूह "क" (इंजीनियरी) पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में मुख्य सर्वेक्षक-सह-अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग), प्रधान अधिकारी (इंजीनियरी) – सह - संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी), उप मुख्य सर्वेक्षक – सह – ज्येष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) और इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक – सह – उप महानिदेशक (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यिक समुद्री विभाग, इंजीनियरी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य सर्वेक्षक-सह-अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग)।	1*(2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 15 (182200-224100 रु.)।	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हों,	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 (144200-218200 रु.) में ऐसे प्रधान अधिकारी (इंजीनियरी)- सह- संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी) जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने वाणिज्यिक नौवहन विधि और प्रशासन से संबंधित क्षेत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण –** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -14 में (144200-218200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो, अर्थात्:- i. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथा विनिर्दिष्ट या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथा विनिर्दिष्ट समुद्री इंजीनियर अधिकारी प्रथम श्रेणी (स्टीम या मोटर या संयुक्त स्टीम और मोटर) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र; और ii. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम,1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट समतुल्य अर्हता; या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया समुद्री प्रचालन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या iii. विश्व समुद्री विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन से समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के सभी पहलुओं में समुद्री आवरक मामलों में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री। (ग) वांछित अर्हताएं: i. समुद्र में पांच वर्ष की सेवा जिसमें से एक वर्ष की सेवा मुख्य इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर के रूप में की हो; और ii. भारत सरकार में या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी में सर्वेक्षक के रूप में विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों में लगे उपकरणों के सांविधिक सर्वेक्षण और निरीक्षण में चौदह वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1. –** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अट्ठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	**परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना है**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – सदस्य 3. नौवहन महानिदेशक – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रधान अधिकारी (इंजीनियरी) – सह – संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी)	3*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (144200-218200 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) में उप मुख्य सर्वेक्षक – सह – ज्येष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी), जिन्होंने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और वाणिज्यिक नौवहन विधि और प्रशासन से संबंधित क्षेत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो **टिप्पण** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13क (131100-216600 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा; या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 13 (123100-215900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात्:-

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-I (भाप या मोटर या भाप और मोटर, संयुक्त) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता; और

(ii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता; या

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया समुद्री प्रचालन और प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा; या

(iv) विश्व समुद्री विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन से समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के प्रशासन के सभी पहलुओं में समुद्री आवरक मामलों में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री।

(ग) वांछनीय अर्हताएं:

i. समुद्र में पांच वर्ष की सेवा जिसमें से एक वर्ष की सेवा मुख्य इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर के रूप में की हो; और
ii. भारत सरकार के साथ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी के साथ विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के कानूनी सर्वेक्षण और निरीक्षण का 12 वर्ष का अनुभव;

टिप्पण 1.– पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – सदस्य; 3. नौवहन महानिदेशक – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप मुख्य सर्वेक्षक-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी)	8* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित , अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल-13 (रु.123100-215900)।	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं.	लागू नहीं.	लागू नहीं.	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) में ऐसे इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक -सह-उप महानिदेशक (तकनीकी) जो ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता धारक हों, अर्थात्: -

(क) (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथा विनिर्दिष्ट एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य अर्हता; या

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया समुद्री प्रचालन और प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा; या

(iii) विश्व समुद्री विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन से समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के प्रशासन के सभी पहलुओं में समुद्री आवरक मामलों में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री।

(ख) वाणिज्यिक नौवहन विधि और प्रशासन से संबंधित क्षेत्र में तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1- प्रोन्नति हेतु ऊपर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए, नौवहन महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पोषक प्रवर्ग के पद पर पदधारियों को लागत वहन करेगा और सुविधा प्रदान करेगा।

टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों ; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-

i. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-I (भाप या मोटर या भाप और मोटर, संयुक्त) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता; और
ii. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र या उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता; या
iii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया समुद्री प्रचालन और प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा; या
iv. विश्व समुद्री विश्वविद्यालय, माल्मो, स्वीडन से समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के प्रशासन के सभी पहलुओं में समुद्री आवरक मामलों में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री।
v. समुद्र में पांच वर्ष की सेवा जिसमें से एक वर्ष की सेवा मुख्य इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर के रूप में की हो; और
vi. भारत सरकार में या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी में सर्वेक्षक के रूप में विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों में लगे उपकरणों के सांविधिक सर्वेक्षण और निरीक्षण में आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 – पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.- पदोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. नौवहन महानिदेशक - अध्यक्ष; 3. संयुक्त सचिव, प्रभारी नौवहन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक- सह-उप महानिदेशक (तकनीकी)	29* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	पे मैट्रिक्स में लेवल-12 (78800-209200 रु.)।	लागू नहीं होता	आयु पचास वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। टिप्पण: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख होगी।

(7)
(क) शैक्षणिक अर्हताएं: (i) शैक्षणिक अर्हताएं: वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (44 of 1958) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-I (भाप या मोटर अथवा भाप और मोटर, संयुक्त) का सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट समतुल्य अर्हता। (ii) अनुभव: समुद्र में पांच वर्ष की सेवा जिसमें से एक वर्ष की सेवा मुख्य इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर के रूप में की हो; और

(ख) वांछित अर्हताएं:

(i) शैक्षणिक अर्हताएं: वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (44 of 1958) की धारा 78 में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रथम श्रेणी इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा उक्त अधिनियम की धारा 86 में यथाविनिर्दिष्ट समतुल्य अर्हता; और

(ii) अनुभव: भारत सरकार में या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी में, सर्वेक्षक के तौर पर, विदेशगामी वाणिज्यिक पोतों और ऐसे पोतों के फलक पर लगे उपस्करों के कानूनी सर्वेक्षण या निरीक्षण या इनकी लेखापरीक्षा या प्रमाणन करने में दो वर्ष का अनुभव;

टिप्पण 1. - अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लेखबद्ध किए गए कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2.- अनुभव संबंधी अर्हता में, लेखबद्ध किए गए कारणों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षि अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। **टिप्पण:** - केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने पर न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण – पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वार भरा जा सकेगा जो,- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।
(11)		
लागू नहीं होता।		

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. नौवहन महानिदेशक - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, प्रभारी नौवहन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; - सदस्य 3. नौवहन महानिदेशालय के अपर/संयुक्त महानिदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. एसवाई-11016/14/2024-एमए (368896)]

राजेश कुमार सिन्हा, विशेष सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2025

G.S.R. 887(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Group 'A' (Engineering) Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Surveyor-cum-Additional Director General (Engineering), Principal Officer (Engineering)-cum-Joint Director General (Technical), Deputy Chief Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical) and Engineer and Ship Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) in the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Departments, Engineering Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Surveyor-cum- Additional Director General (Engineering).	1*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)

Promotion:

Principal Officer (Engineering)-cum-Joint Director General (Technical) in level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200) with three years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks mandatory training in area related to Merchant Shipping Law and Administration or as specified by competent authority.

Note. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with three years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) certificate of competency as marine engineer officer first class (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or as specified in section 86 of the said Act; and
(ii) certificate of competency as extra first class engineer as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; or Post Graduate Diploma in Maritime Operation and Management awarded by the Indian Institute of Technology; or
(iii) Master of Science degree in Maritime Affairs covering all aspects of Administration of Maritime safety and Environment Protection from the World Maritime University, Malmo, Sweden.

(c) Desirable qualifications:

(i) Five years service at sea of which one year service as Chief Engineer or Second Engineer; and
(ii) fourteen years of experience in carrying out statutory survey and inspection of foreign going merchant ships and equipment on board such ships, as a surveyor, with Government of India or with a classification society recognised by Government of India.
Note 1. - The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. - The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3. - The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; 2. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member; 3. Director General of Shipping – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making appointment on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Principal Officer (Engineering)-cum-Joint Director General (Technical).	3*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs.144200-218200)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

(11)

Promotion:

Deputy Chief Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical) in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) with three years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks mandatory training in area related to Merchant Shipping Law and Administration or as specified by competent authority.

Note. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) certificate of competency as marine engineer officer first class (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or as specified in section 86 of the said Act; and

(ii) certificate of competency as extra first class engineer as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; or
(iii) Post Graduate Diploma in Maritime Operation and Management awarded by the Indian Institute of Technology; or

(iv) Master of Science degree in Maritime Affairs covering all aspects of Administration of Maritime safety and Environment Protection from the World Maritime University, Malmo, Sweden. (c) Desirable qualifications: (i) Five years service at sea of which one year service as Chief Engineer or Second Engineer; and (ii) twelve years of experience in carrying out statutory survey and inspection of foreign going merchant ships and equipment on board such ships, as a surveyor, with Government of India or with a classification society recognised by Government of India. **Note 1. -** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2. -** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3. -** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-eight years, as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; 2. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member; 3. Director General of Shipping – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Chief Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical).	8* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
Promotion: Engineer and Ship Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and possessing the following educational qualifications, namely: - (a) (i) certificate of competency as extra first class engineer as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; or (ii) Post Graduate Diploma in Maritime Operation and Management awarded by the Indian Institute of Technology; or (iii) Master of Science degree in Maritime Affairs covering all aspects of Administration of Maritime safety and Environment Protection from the World Maritime University, Malmo, Sweden. (b) having successfully completed three weeks mandatory training in area related to Merchant Shipping Law and Administration.

Note 1. - For acquiring educational qualification as prescribed above for promotion, the office of the Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall bear the cost and facilitate the incumbents in the feeder grade post.

Note 2. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) certificate of competency as marine engineer officer first class (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or as specified in section 86 of the said Act; and

(ii) certificate of competency as extra first class engineer as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; or

(iii) Post Graduate Diploma in Maritime Operation and Management awarded by the Indian Institute of Technology or equivalent; or

(iv) Master of Science degree in Maritime Affairs covering all aspects of Administration of Maritime safety and Environment Protection from the World Maritime University, Malmo, Sweden; and

(v) five years service at sea of which one year service as Chief Engineer or Second Engineer;

(vi) eight years of experience in carrying out statutory survey and inspection of foreign going merchant ships and equipment on board such ships, as a surveyor, with Government of India or with a classification society recognised by Government of India.

Note 1. - The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. - The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3. - The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

Note 4. - The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; 2. Director General of Shipping – Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

3. Joint Secretary In-charge of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Engineer and Ship Surveyor cum-Deputy Director General (Technical).	29* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not exceeding fifty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). **Note. -** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)
(a) Essential Qualifications: (i) Educational qualifications: Certificate of competency of marine engineer officer first class (Steam or Motor or Combined Steam and Motor) as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; and (ii) Experience: Five year service at sea of which one year service as Chief Engineer or Second Engineer (b) Desirable Qualifications: (i) Educational qualifications: Certificate of competency of extra first class engineer as specified in section 78 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) or equivalent as specified in section 86 of the said Act; and (ii) Experience: Two years of experience in carrying out statutory survey or inspection or audit or certification of foreign going merchant ships and equipment on board such ships, as a surveyor, with Government of India or with a classification society recognised by Government of India. **Note 1. -** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2. -** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year for direct recruits. **Note. -** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks' duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note. -** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700); and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for the direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director General of Shipping – Chairperson; 2. Joint Secretary in-charge of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, - Member; 3. Additional/Joint Director General of the Directorate General of Shipping – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. SY-11016/14/2024-MA (368896)]

RAJESH KUMAR SINHA, Special Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.12 11:24:09 +05'30'